

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक: पी.टी.उ. संख्या/2025/ 248

प्रकरण सं.:
दिनांक: 17/9/25

आदेश

प्राथी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जादेवी देवी व मू. नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुसंधान के अन्तर्गत पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 136 के अनुसरण में प्रथि खारामोहन बाबू तहसील सिणधरी व जिला बाबोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 3, 2, 4 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	खारामोहन	243	672/3 व 672	जाबुदेवी	लामुदेवी
02	खाहनाडा	4	134/34/2 134/3, 75, 76/2 81, 82, 84/2	लबुदेवी	शोमाराम

3
(जगदीशसिंह आशिया)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक: 17/9/25

क्रमांक: सम./2025/ 249-251

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्राथी लामुदेवी तहसील सिणधरी को सूचनाार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

3
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

